

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0न0:-64 / 2020

तारीख रजू:-16.10.2020

जीसीएमएस नंबर:-2020 / 00096



पीठासीन अधिकारी :-जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस.)

1. प्रभूदास पुत्र गोरी दास बाबाजी जाति बाबाजी निवासी रूपनगर, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

बनाम

1. बजरंगलाल पुत्र रामनारायण मीना, निवासी रूपनगर, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
2. भजन पुत्र फैली मीना, निवासी रूपनगर, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
3. रामलाल पुत्र मादया मीना, निवासी रूपनगर, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
4. रामावतार पुत्र मादया मीना, निवासी रूपनगर, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
5. हरिराम पुत्र मादया मीना, निवासी रूपनगर, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
6. कैलाशी बेवा जन्सी मीना, निवासी रूपनगर, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
7. तहसीलदार जरिये लेण्ड होल्डर, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

उपस्थित:-

वकील वादी:- श्री हंसराज यादव, एडवोकेट

प्रतिवादीगण:-एकपक्षीय कार्यवाही

दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 आर0टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक:-02.12.2025

1. पूर्व में उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.05.2025 द्वारा दिनांक 18 से 21 की पालना करते हुए एवं माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक रा. म./स्था./प-51/2008/विविध/10546 दिनांक 05.10.2020 की पालना करते हुए बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार को तकासमा स्कीम (विभाजन प्रस्ताव) मय नक्शे के तीन-तीन प्रतियों में तैयार कर इस न्यायालय में भिजवाने हेतु आदेशित किया गया था।



2. उक्त प्राथमिक डिकी के निर्णय की अनुपालना में तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा ने अपने पत्रांक भू0अ0/2025/2116 दिनांक 29.08.2025 द्वारा मूल रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस भिजवाई है, जो शामिल पत्रावली है।
3. वकील वादी ने अपने दावा अनुसार बहस की तथा तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त की एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा से प्राप्त तकासमा स्कीम के अनुसार तकासमा करवाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने हेतु निवेदन किया।
4. मैंने वकील वादी की बहस पर मनन किया तथा तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा से प्राप्त तकासमा स्कीम का अवलोकन किया, साथ ही पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। बाद अवलोकन हम प्रार्थी का वादपत्र स्वीकार करते हुए तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार बंटवारा किया जाना प्रायोचित समझते हैं।



—:आदेश:—

वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वाद निम्नानुसार अंतिम डिकी किया जाता है कि ग्राम रूपनगर, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर के आराजी खसरा नंबर 205 रकबा 1.31 है0, खसरा नंबर 206 रकबा 2.25 है0 एवं खसरा नंबर 208 रकबा 0.35 है0 कुल कित्ता 03 कुल रकबा 3.91 में से संलग्न नक्शे अनुसार उभयपक्षकारान के मध्य निम्नानुसार तकासमा किया जाता है—

क्र. सं.	खातेदारान का नाम	प्रस्तावित खसरा नंबर	रकबा (है0 में)	किस्म	लगान
1.	प्रभूदास पुत्र गोरी दास बाबाजी जाति बाबाजी निवासी रूपनगर, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।	206/1	0.43 है0	बारानी-3	2.15
		208	0.35 है0	बारानी-3	1.75
2	रामावतार पुत्र मादया हि0 1/12 (राहिन पीएनबी), रामलाल पुत्र मादया हि0 1/12, हरिराम पुत्र मादया हि0 1/12, बजरंगलाल पुत्र रामनारायण हि0 1/4, जन्सी पुत्र राधाकिशन हि0 1/4 भजन पुत्र फेली हि0 1/4	206/2	1.82 है0	बारानी-3	9.10
		205	1.31 है0	बारानी-3	6.55

तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को आदेशित किया जाता है कि उभयपक्षकारान के हिस्से में उक्त तकासमा स्कीम के अनुसार तरमीम कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करे। साथ ही उभयपक्षकारान को आदेशित किया जाता है कि वे बाद तकासमा पक्षकारान हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार से दखलंदाजी नहीं करे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 02.12.2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।



(जोरोध सिंह)
 उपखण्ड अधिकारी
 चौथ का बरवाड़ा (स. म. ०)

बनाम



दिनांक 02 दिसंबर 2025

चौथ का बरवाड़ा तकासमा एवं उपखण्ड न्यायालय अन्तर्गत धारा 23, 188 भारतीय दण्ड

कोर्ट की ओर से की गई। तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को आदेशित किया जाता है कि उक्त तकासमा स्कीम के अनुसार तरमीम कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करे। साथ ही उभयपक्षकारान को आदेशित किया जाता है कि वे बाद तकासमा पक्षकारान हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार से दखलंदाजी नहीं करे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 02.12.2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी स्थान

चौथ का बरवाड़ा

1. प्रभूदास पुत्र गोरी दास बाबाजी जाति बाबाजी निवासी रूपनगर, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

बनाम



1. बजरंगलाल पुत्र रामनारायण मीना, निवासी रूपनगर, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
2. भजन पुत्र फैली मीना, निवासी रूपनगर, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
3. रामलाल पुत्र मादया मीना, निवासी रूपनगर, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
4. रामावतार पुत्र मादया मीना, निवासी रूपनगर, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
5. हरिराम पुत्र मादया मीना, निवासी रूपनगर, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
6. कैलाशी बेवा जन्सी मीना, निवासी रूपनगर, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
7. तहसीलदार जरिये लेण्ड होल्डर, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

नम्बर मुकदमा 64 सन् 2020

दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0एक्ट

वादी की ओर से श्री हंसराज यादव, एडवोकेट एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 की ओर से एकपक्षीय कार्यवाही की उपस्थिति में इस वाद के आज ता0 02.12.2025 को श्री जोगेन्द्र सिंह (आर.ए. एस) के समक्ष अन्तिम निपटारों के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री जारी की जाती है कि ग्राम रूपनगर, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर के आराजी खसरा नंबर 205 रकबा 1.31 है0, खसरा नंबर 206 रकबा 2.25 है0 एवं खसरा नंबर 208 रकबा 0.35 है0 कुल किता 03 कुल रकबा 3.91 में से संलग्न नक्शे अनुसार उभयपक्षकारान के मध्य निम्नानुसार तकासमा किया जाता है—

क्र. सं.	खातेदारान का नाम	प्रस्तावित खसरा नंबर	रकबा (है0 में)	किस्म	लगान
1.	प्रभूदास पुत्र गोरी दास बाबाजी जाति बाबाजी निवासी रूपनगर, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।	206/1	0.43 है0	बाराणी-3	2.15
		208	0.35 है0	बाराणी-3	1.75
2.	रामावतार पुत्र मादया हि0 1/12 (साहिन पीएनबी), रामलाल पुत्र मादया हि0 1/12, हरिराम पुत्र मादया हि0 1/12, बजरंगलाल पुत्र रामनारायण हि0 1/4, जन्सी पुत्र राधाकिशन हि0 1/4 भजन पुत्र फैली हि0 1/4	206/2	1.82 है0	बाराणी-3	9.10
		205	1.31 है0	बाराणी-3	6.55

तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को आदेशित किया जाता है कि उभयपक्षकारान के हिस्से में उक्त तकासमा स्कीम के अनुसार तरमीम कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करे। साथ ही उभयपक्षकारान को

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

आदेशित किया जाता है कि वे बाद तकासमा पक्षकारान हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार से दखलंदाजी नहीं करें। पक्षकारान अपना अपना खर्चा स्वयं वहन करें।

इस वाद के खर्च लेखें X रूपया की राशि आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर X प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित X द्वारा X को दी जाए। यह आज तारीख 02.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

वाद के खर्च

वादी	रूपया	पैसे	प्रतिवादी	रूपया	पैसे
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	अर्जी के लिए स्टाम्प	00	
3 प्रदेशा के लिए स्टाम्प रू० पर	00	00	प्लीडर की फीस	00	
4 प्लीडर की फीस	00	00	साक्षियों के निर्वाह व्यय	00	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00	आदेशिका की तामील	00	
6 कमिश्नर की फीस	00	00	कमिश्नर की फीस	00	
7 आदेशिका की तामील	00	00			
जोड	00	00	जोड	00	00



(जोयेन्द्र सिंह)
उपायुक्त अधिकारी
घोष का बरवाड़ा
बठिण्डा (स० न०)